

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-856/दो-6-2018-53(30)/2012  
लखनऊ : दिनांक : ०४ मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्य) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री सीताराम यादव, आई०ए०एस० को उनके स्वयं के दिनांक 04.10.2017 से 19.02.2018 तक डा० अमित गुप्ता, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०-13,079/- (रूपये तेरह हजार उन्व्यासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री सीताराम यादव, आई०ए०एस० का वेतन आहरित किया जाता है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

संख्या-856(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पंजीकृत (1) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टेट, लखनऊ को मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।  
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।  
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3  
(4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।  
(5) श्री सीताराम यादव, आई०ए०एस०, महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

  
(कमला सिंह यादव)

अनु सचिव।